

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।
ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

पत्रांक: न-३/एफ०एस०/ऑनलाईन/2023

दिनांक अगस्त 14, 2023

स्वामी/प्रबन्धक

मै० मल्लिकार्जुन रक्खूल

नियर पूलड हाउस ऑफिसर कॉलोनी
चम्पावत।

विषय :— अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं०-70448555 दिनांक 04.08.2023 के अनुसार मै० मल्लिकार्जुन रक्खूल नियर पूलड हाउस ऑफिसर कॉलोनी चम्पावत की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट की निरीक्षण आख्या के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः मै० मल्लिकार्जुन रक्खूल नियर पूलड हाउस ऑफिसर कॉलोनी, चम्पावत को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 14 अगस्त 2023 से 13 अगस्त 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की रथापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की रथापना, वैटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
- 6 विद्युत रिवर वोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
- 7 संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किए जाने की स्थिती में कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओटू फायर एक्सटिंग्यूशर तथा अन्य लैब में 01 अदद डीसीपी फायर एक्सटिंग्यूशर तथा 04 अदद सैण्ड बकेट का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

✓ 18/8/23).
(इशान कटारिया)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उधमसिंहनगर